आरटीआई अधिनियम-2005 पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला

का आयोजन

आरटीआई सेल, एनआईटी हमीरपुर (हि.प्र.)

दिनांक 24 अप्रैल, 2026

सूचना का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत एक बुनियादी अधिकार है जो भारत के हर नागरिक को मिला है। सूचना का अधिकार (RTI) एक्ट 2005, 15 जून, 2005 को पारित हुआ था। इसे एक असरदार टूल के तौर पर बनाया गया था ताकि सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ के सभी कामों में पारदर्शिताऔर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सके, जिससे नागरिक उन जानकारी को हासिल कर सकें जो इन पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास या उनके कंट्रोल में है।

सभी कैटेगरी के स्टेकहोल्डर्स के लिए RTI 2005 एक्ट के तहत अलग-अलग उद्देश्य और नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें जानकारी देने, सिखाने और शेयर करने के लिए, 24/4/2026 को **NIT हमीरपुर में "सूचना का अधिकार एक्ट-2005 जागरूकता" पर एक दिन की वर्कशॉप रखी गई थी।** इसका मकसद NIT हमीरपुर के बाहर और अंदर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर सभी इच्छुक अधिकारियों यानी फैकल्टी, स्टाफ, और NIT हमीरपुर के UG, PG और PhD स्कॉलर्स के बीच ज़रूरी जानकारी देना था ।

आरटीआई कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन के दौरान मुख्य अतिथि प्रो. एचएम सूर्यवंशी -निदेशक एनआईटी हमीरपुर, गणमान्य व्यक्ति, आयोजक और प्रतिभागी।

आरटीआई कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्ज्वलन के दौरान प्रो. एचएम सूर्यवंशी -निदेशक एनआईटी हमीरपुर, गणमान्य व्यक्ति, आयोजक और प्रतिभागी।

सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (CPIO) डॉ. आर.के. जरियाल ने सभी पार्टिसिपेंट्स और खास लोगों का स्वागत किया, जैसे कि प्रो. एचएम सूर्यवंशी, माननीय निदेशक NIT हमीरपुर – चीफ गेस्ट, प्रो. अनूप कुमार – फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, प्रो. राजीवन चंदेल – पारदर्शिता अधिकारी, डीन और हेड्स का वर्कशॉप ऑर्गनाइज़ करने में उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया । उन्होंने छोटी इंट्रोडक्टरी बातों के साथ वर्कशॉप शुरू की और इवेंट का मुख्य उद्देश्य बताया।

एनआईटी हमीरपुर के पारदर्शिता अधिकारी प्रोफेसर राजीवन चंदेल ने वर्कशॉप में उपस्थित सभी का स्वागत किया और एनआईटी हमीरपुर के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना के बीच दीप प्रज्ज्वलन के साथ उद्घाटन सत्र की शुरुआत की।

सीपीआईओ - डॉ. आर.के. जरियाल आरटीआई वर्कशॉप के मेहमानों, पार्टिसिपेंट्स और अटेंडीज़ को संबोधित करते हुए।

NIT हमीरपुर के माननीय निदेशक , प्रो. एच.एम. सूर्यवंशी ने RTI एक्ट 2005 को एक ज़रूरी एक्ट बताया, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ और दूसरी लोकल बॉडीज़ के बीच अहम रोल को मिलाकर नागरिकों और स्टेकहोल्डर्स को मज़बूत बनाता है, साथ ही ईमानदारी और इंटीग्रिटी भी पक्का करता है। इससे बिना किसी शक के यह साबित हो गया है कि यह ACT हर पब्लिक अथॉरिटी के काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है, जिससे नागरिकों तक जानकारी पहुँचती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को जवाबदेह बनाना और संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर राष्ट्रीय प्रयास पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है।

प्रोफेसर एच.एम. सूर्यवंशी, मुख्य अतिथि, आरटीआई कार्यशाला के अतिथियों, संकाय, कर्मचारियों, छात्रों, प्रतिनिधियों, प्रतिभागियों और आयोजकों को संबोधित करते हुए।

प्रोफेसर अनूप कुमार - फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने इनॉगरल टॉक दी और वर्कशॉप में आए डेलीगेट्स को RTI एक्ट-2005 के बड़े नज़रिए के बारे में बताया। उन्होंने RTI अपीलेट अथॉरिटी की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर दिया।

प्रो. अनूप ने बहुत ही सटीक ढंग से प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विभिन्न पहलुओं का सार प्रस्तुत किया और साथ ही आरटीआई सेल से जुड़े सभी लोगों के लिए कई सुझाव दिए और राष्ट्रीय हित में इसकी संवैधानिक जिम्मेदारी के बारे में बताया।

प्रोफेसर अनूप कुमार, FAA, RTI वर्कशॉप के मेहमानों, पार्टिसिपेंट्स और अटेंडीज़ को संबोधित करते हुए।

प्रो. राजीवन चंदेल ने एक्सपर्ट स्पीकर श्री रविंदर कुमार, संयुक्त कुलसचिव, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) रोपड़ (रूपनगर), पंजाब का परिचय वर्कशॉप के डेलीगेट्स और पार्टिसिपेंट्स से कराया।

डॉ. आर.के. जरियाल, IIT रोपड़ के RTI वर्कशॉप के एक्सपर्ट श्री रविंदर कुमार को सम्मानित करते हुए।

विशेषज्ञ श्री रविंदर कुमार, आईआईटी (रूपनगर) द्वारा आरटीआई कार्यशाला में सत्र के दौरान प्रतिभागी।

IIT रोपड़ के संयुक्त कुलसचिव, श्री रविंदर कुमार ने RTI एक्ट 2005 के शुरू से लेकर अब तक के कामकाज के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने सही भावना से पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने और पॉजिटिव सोच और जानकारी मांगने वालों को बढ़ावा देने की इच्छा के साथ स्टेकहोल्डर्स को ईमानदार गवर्नेंस देने के लिए प्रोएक्टिवनेस टूल का सपोर्ट किया।

उन्होंने RTI एक्ट 2005 के बारे में बात की और इन बातों पर गहराई से बात की, जैसे कि उद्देश्य, कवरेज, जानकारी तक पहुंच, छूट, जवाब देने की टाइमलाइन और सज़ा के नियम।

IIT रोपड़ के संयुक्त कुलसचिव श्री रविंदर कुमार, RTI एक्ट 2005 पर अपने सेशन के दौरान।

उन्होंने आगे RTI प्रोसेस, ज़रूरी छूट – सेक्शन 8(1), और RTI एक्ट 2005 के महत्व पर चर्चा की। DPDP एक्ट, 2023 के सेक्शन 44(3) में हाल ही में हुए बदलाव और उससे जुड़े मुद्दों पर भी बात की गई। RTI फ्रेमवर्क के सामने मौजूदा चुनौतियों को इस तरह बताया गया:

Challenge	Details
Backlog	Over **3 lakh appeals pending**
Dilution of Autonomy	RTI (Amendment) Act 2019 gave the Centre power to decide **tenure and salaries** of CIC/SICs.
Opaque Governance	Officers' transfers, disciplinary records, assets can now be withheld
Threat to Activists	No functional **whistleblower protection**
Non-compliance	45% of public authorities failed **Section 4 disclosures**
Low Awareness	Especially among **rural,**
Misuse and Vagueness	Vague RTIs or misuse by vested interests increases administrative burden.

उन्होंने अपने सेशन का समापन इस टिप्पणी के साथ किया कि,

- RTI एक शक्तिशाली अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है।
- हाल के बदलावों से प्राइवेसी पर फोकस बढ़ गया है।
- भविष्य ट्रांसपेरेंसी और डेटा प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाने पर निर्भर करता है।

IIT रोपड़ के संयुक्त कुलसचिव श्री रविंदर कुमार को RTI एक्ट 2005 पर अपना सेशन करने के लिए सम्मानित किया गया।

प्रो. राजीवन चंदेल – पारदर्शिता अधिकारी ने दोपहर का सेशन संभाला। उन्होंने RTI एक्ट 2005 के इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सेगमेंट के एक और ज़रूरी पिलर सेक्शन 4(1) के बारे में एक बहुत ही जानकारी देने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला एक्सपर्ट लेक्चर दिया, जिसमें हर पब्लिक एंटिटी द्वारा जानकारी को अपनी मर्ज़ी से बताने का आदेश दिया गया था।

प्रो. राजीवन चंदेल- पारदर्शिता अधिकारी NIT हमीरपुर (HP), RTI वर्कशॉप में सेशन लेते हुए।

प्रो. चंदेल का एक्सपर्ट लेक्चर कम सेशन काफी पार्टिसिपेटरी, इंटरैक्टिव और लाइवली था। पार्टिसिपेंट्स ने योगदान दिया और अपने डाउट्स के बारे में अपने विचार शेयर किए, साथ ही कई खूबियों की झलक मिलने के अपने इंप्रेशन भी बहुत ही भरोसेमंद और संतोषजनक तरीके से शेयर किए। पार्टिसिपेंट्स ने प्रो. राजीवन चंदेल द्वारा आयोजित RTI पर क्विज़ और ब्रेन-स्टॉर्मिंग सेशन पर प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स दिया।

RTI वर्कशॉप में पारदर्शिता अधिकारी NIT हमीरपुर द्वारा आयोजित सेशन।

सेशन के कंटेंट की एक झलक, जिसे NIT हमीरपुर के पारदर्शिता अधिकारी (TO) प्रो. राजीवन चंदेल ने बताया।

RTI वर्कशॉप सेशन में शामिल पार्टिसिपेंट्स।

सभी पार्टिसिपेंट्स ने RTI एक्ट 2005 की डिटेल्स का मज़ा लिया और कई सवाल पूछे जिससे सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो गया। कई रियल टाइम सिचुएशन बताई गईं जिनमें CPIO, APIO, अपीलेट अथॉरिटी और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन समेत RTI सेल अथॉरिटीज़ के रिस्पॉन्स पर चर्चा की गई। पार्टिसिपेंट्स को सेशन के आखिर में अपना ईमानदार फीडबैक देने का मौका दिया गया।

आखिरी वेलेडिक्टरी सेशन में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिए गए। पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश थे।

RTI सेल NIT हमीरपुर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोशिशें जारी रखेगा, और नेशनल इंटीग्रेशन गोल पाने के लिए VIKSIT BHARAT@2047 में ईमानदारी से सबसे अच्छे तरीके से योगदान देगा।

आरटीआई वर्कशॉप के डीन और पार्टिसिपेंट प्रो. अश्विनी कुमार का फीडबैक

NIT हमीरपुर में RTI एक्ट 2005 अवेयरनेस पर वर्कशॉप के 24/4/2026 को फीडबैक सेशन के बाद पार्टिसिपेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स की झलकियां